

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अगस्त 2014—श्रावण 15, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

अधिसूचना क्र. 23-एफ-1-31-2012-अठारह-3.—राज्य शासन, एतद्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक 64-एफ-1-19-2009-अठारह-3, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 की कंडिका-2 में नगरपालिक निगम के गठन के संबंध में निर्धारित जनसंख्या के मापदण्ड को शिथिल करते हुए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र मुरैना को नगरपालिक निगम के रूप में गठन किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.